8

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं० सं०–2/एल–190/2025– /स्वा०, पटना, दिनांक / / 2026

डा० स्वेता सिह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र), अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना का विभागीय आदेश संख्या–2104(2) दिनांक–23.12 2025 द्वारा दिनांक–01 01.2026 से 31.05.2026 तक कुल–151 (एक सौ इक्कावन) दिन की अवधि को शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया गया था। डा० स्वेता सिंह के आवेदन के आलोक में उक्त अवकाश को दिनाक–01.06.2026 से 31.07.2026 तक कुल–61 (इकसठ) दिन उपभोग की जाने वाली अवधि को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–1703(25), दिनांक–24.09.2024 से प्राप्त अवकाश आदेयता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–9889, दिनांक–01.12.2015 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप मे विस्तारित करते हुए स्वीकृत किया जाता है। उपभोगित अवकाश को घटाने के पश्चात डा० सिंह को 518 (पाँच सौ अठारह) दिन शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक–2/एल–190/2025– 1129(2) पटना, दिनांक 27/5/ 2026

प्रतिलिपिः महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पटना/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः कोषागार पदाधिकारी, पटना/डा० स्वेता सिंह, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (नेत्र), अनुमंडलीय अस्पताल, दानापुर, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः आई०टी०मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

Vinod Kumar 27/5/26
सरकार के उप सचिव

D>Sec-2>2026>adesh 2026